अखिल राजस्थान उच्च शिक्षा मंत्रालयिक कर्मचारी संघ (अरूस्मा)

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

क्रमांकः ARUSMA/प्रदेश/राज./2025/205–208 दिनांकः– 04.11.2025

माननीय मुख्यमंत्री/उच्च शिक्षा मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।

श्रीमान् आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

विषयः– कॉलेज शिक्षा विभाग में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम– 2010 (R.V.R.E.S.) के अधीन कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनामों में ग्रेड पे (पे–मैट्रिक्स) के अनुसार परिवर्तन किए जाने हेतु अनुरोध।

संदर्भः– कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक– एफ.5(2)डीओपी/क–2/2010 दिनांक– 24.03.2025 की अनुपालना में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक– एफ 8(17)रूक्टा/राष्ट्रीय/15/पार्ट–।।–05921 राजकाज रेफरेंस नम्बर– 14700776 दिनांक– 28.04.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा संगठन आपका ध्यान **कॉलेज शिक्षा विभाग में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम– 2010 (R.V.R.E.S.) के अधीन कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों से संबंधित** एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हैं। आपके संज्ञान हेतु मुख्य बिंदु निम्न हैः–

1. **<u>पदनामों का ग्रेड पे के अनुसार अद्यतन परिवर्तनः–</u>**

– राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम– 2010 (R.V.R.E.S.) योजना के अधीन कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान में विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों का समायोजन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक–एफ.24( )अनु/आकाशि/स्वै.ग्रा.शि.से./2011/3493 दिनांक–02.02.2011 की अनुपालना में निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक–एफ 1 (43)पीएस/निकाशि/2011/289 दिनांक–01.08.2011 के द्वारा कर पदस्थापन किया गया था।

– वर्तमान में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम– 2010 (R.V.R.E.S.) योजनान्तर्गत व्याख्याताओं के पदनामों में ग्रेड पे अनुसार संशोधन एवं पदोन्नति की प्रक्रिया कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक– एफ.5(2)डीओपी/क–2/2010 दिनांक– 24.03.2025 की अनुपालना में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक– एफ 8(17)रूक्टा/राष्ट्रीय/15/पार्ट–।।– 05921 राजकाज रेफरेंस नम्बर– 14700776 दिनांक– 28.04. 2025 के द्वारा लागू की गई है।

– इसी प्रकार कॉलेज शिक्षा विभाग में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम– 2010 (R.V.R.E.S.) के अधीन कार्यरत व्याख्याता संवर्ग के पदनामों में संशोधन की प्रक्रिया के समान मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनामों में भी ग्रेड–पे के अनुसार संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। जो कि नियमानुसार समान रूप से संशोधन किया जाना आवश्यक है।

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)

प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

2. **स्थानान्तरण/पदस्थापन नियम लागू करनाः—**

— कॉलेज शिक्षा विभाग में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम— 2010 (R.V.R.E.S.) के अधीन कार्यरत व्याख्याता संवर्ग के संशोधन की प्रक्रिया के समान मंत्रालयिक कर्मचारियों के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरपालिका एवं जिला क्षेत्रों में रिक्त पदों पर भी स्थानान्तरण/पदस्थापन किए जाने के लिए लागू प्रावधानों में संशोधन एवं शिथिलन प्रदान कर सुस्पष्ट एवं व्यवहारिक नीति लागू की जाना आवश्यक है।

3. **उच्च पदों पर समान रूप से पदोन्नति का लाभः—**

— कॉलेज शिक्षा विभाग में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम— 2010 (R.V.R.E.S.) के अधीन कार्यरत व्याख्याता संवर्ग के संशोधन की प्रक्रिया के समान मंत्रालयिक कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम— 2017 की पे—मैट्रिक्स सारणी अनुसार कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान के मूल मंत्रालयिक संवर्ग के लिए लागू पदनामों के अनुरूप नियमानुसार रिव्यू डीपीसी का आयोजन कर संबंधित देय दिनांक से पदोन्नति स्वीकृत कर लाभ प्रदान करवाए जाने के लिए संशोधन किया जाना है। जिससे कार्मिकों को विगत 14 वर्षों से भी अधिक समय से सेवाएँ दिए जाने के क्रम में पदोन्नति के अवसर समान रूप से उपलब्ध हो सकें।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संदर्भित पत्र राजकाज रेफरेंस क्रमांक— 14700776 दिनांक— 28.04.2025 के समान कार्यवाही कर कॉलेज शिक्षा विभाग में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम— 2010 (R.V.R.E.S.) के अधीन कार्यरत व्याख्याता संवर्ग के पदनामों में संशोधन की प्रक्रिया के समान मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनामों में भी ग्रेड—पे के अनुसार संशोधन, स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी प्रावधानों एवं उच्च पदों पर समान रूप से पदोन्नति संबंधी प्रावधानों में संशोधन की अतिशीघ्र क्रियान्वित की जाए, जिससे राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम— 2010 (R.V.R.E.S.) के अधीन कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को अपनी सेवा के प्रति न केवल संतुष्टी की भावना का विकास करेंगे अपितु उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होने के साथ विभाग की समग्र उत्पादकता में भी अभिवृद्धि होगी, एवं अपनी कार्य संस्कृति, कार्यप्रणाली के साथ जुडाव को बढावा देने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा।

संघ को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हैं कि आप राज्य हित, विभाग हित एवं कर्मचारी हित में 'एकरूपता एवं समानता के सिद्धांत' की क्रियान्विति करते हुए कॉलेज शिक्षा विभाग में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम— 2010 (R.V.R.E.S.) के अधीन कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों से संबंधित उक्त बिंदुओं के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करेंगे, जिससे कि R.V.R.E.S.-2010 के अधीन कार्यरत विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी विभागीय शैक्षणिक संवर्ग में पूर्व में व्याख्याता पद पर कार्यरत कर्मचारियों के समान समुचित अवसर प्राप्त हो सकें।

आपकी सकारात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा में।

दिनांकः— 04—11—2025 **भवदीय**

प्रकाश चन्द्र शर्मा

प्रदेशाध्यक्ष, ARUSMA

(EMAIL ID : arusma2025@gmail.com)
प्रधान कार्यालयः SKIT कॉलेज के पास, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईट:–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेल:–rvres.cce@gmail.comफोन न. 0141–2706736(O)

क्रमांक:एफ 8(17)रूक्टा/राष्ट्रीय/15/पार्ट–II-05921 दिनांक –हस्ताक्षर दिनांक

आदेश

राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 में संशोधन के क्रम में राजस्थान सरकार कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं.एफ.5(2)डीओपी/क–2/2010 दिनांक 24.03.2025 के अनुसरण में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त व्याख्याताओं (RVRES) का पदनाम निम्नानुसार किया जाता है–

क्र.सं.	संशोधित पदनाम	वर्तमान वेतनमान
01.	सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.)	15600–39100 AGP 6000 (एएल–10)
02.	सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.) वरिष्ठ वेतनमान	15600–39100 AGP 7000 (एएल–11) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन
03.	सहायक आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.) चयनित वेतनमान	15600–39100 AGP 8000 (एएल–12) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन
04.	सह आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.)	37400–67000 AGP 9000 (एएल–13 क) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन
05.	आचार्य (आर.वी.आर.ई.एस.)	37400–67000 AGP 10000 (एएल–14) कैरियर समुन्नति स्कीम के अधीन

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 8(17)रूक्टा/राष्ट्रीय/15/पार्ट–II-05921 दिनांक–हस्ताक्षर दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री(उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
04. समस्त संयुक्त निदेशक/वित्तीय सलाहकार/उपविधि परामर्शी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
05. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
06. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान।
07. संबंधित सहायक/सह आचार्य RVRES
08. वेबसाइट प्रभारी–विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
09. स्थापना शाखा/रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Om Prakash Bairwa
Designation: Commissioner
Date: 2025.04.28 16:13:41 IST
Reason: Approved